फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

...ण		अप्रार्थीगण
...सिंह/उगमसिंह	बनाम	देवाराम पुत्र मुनाराम
...ो–लाम्बा तहसील नावां		निवासी लाम्बा तह. नावां
...ा : राजस्व प्रार्थना 212 आर.टी.एक्ट		संख्या – 05/2025

...म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
...25	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत अधिवक्ता श्री आनन्दीलाल कुमावत ने पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक प्रकृति का होना जाहिर किया तथा प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टयां मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तीनो बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में इस स्तर पर प्रतीत नहीं होने से प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाता है। अप्रार्थीगण की तलबी होकर मिसल दिनांक 14.02.2025 को पेश हो। (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
	14/2/25 पत्रावली पेश हुई। बमुलाहिजा उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर पधारे है पत्रावली दिनांक 7/4/25 को पेश हो	
7/04/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अप्रार्थीगण अनुपस्थित। पक्षकारान् तथा पक्षकारान के अधिवक्तागण को आवाजे लगवाई गई। परन्तु कोई पक्षकारान/अधिवक्ता हस्तगत प्रकरण में हाजिर नहीं आये। अधिवक्ता व पक्षकारान बावजूद तारीख पेशी सूचना एवं उक्त प्रकरण में उपस्थिति के लिए आवाजे लगाने पर भी गैर हाजिर रहे है। अतः प्रकरण हाजा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन) उपखण्ड अधिकारी नावां	